भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 84

दिनांक 2 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

स्वाधार गृह योजना

84. श्री पी. रविन्द्रनाथः

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) तमिलनाडु में विगत तीन और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वाधार गृह योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का स्वाधार गृह योजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत वृद्ध महिला कामगारों को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करने और असंगठित क्षेत्र में आर्थिक और भावनात्मक दोनों प्रकार से उनका पुनर्वास करने के लिए एक नई योजना को समायोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत, कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए स्वाधार गृह स्कीम और दुर्व्यापार निवारण के लिए उज्ज्वला होम स्कीम का विलय कर दिया गया है और अब इसे शक्ति सदन (स्कीम) के रूप में जाना जाता है जो दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित विपदाग्रस्त स्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। यह स्कीम मांग आधारित केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जिसके अंतर्गत स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधियां जारी की जाती हैं। इसका उद्देश्य विपत्ति की स्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण का निर्माण करना है, ताकि वे विषम परिस्थितियों से उबर सकें। इस योजना के अंतर्गत किराए के परिसरों में शक्ति सदन चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अटल वय अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) योजना के एक घटक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रम), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। सभी जेंडरों के गरीब वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं। इस योजना के तहत 50 बुजुर्ग महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के घरों में सहायता अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

तमिलनाडु राज्य सरकार (जीओटीएन) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शक्ति सदन, सहवासियों की संख्या और तमिलनाडु राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधि का ब्यौरा **अनुलग्नक 1** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

स्वाधार गृह योजना के संबंध 02.02.2024 को श्री पी रवींद्रनाथ, माननीय संसद सदस्य (एलएस) द्वारा लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक।

तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शक्ति सदन, सहवासियों की संख्या और तमिलनाडु राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधि का ब्यौरा।

(**राशि: करोड़ रुपये**)

वित्तीय वर्ष	**शक्ति सदन की संख्या**	सहवासियों **की संख्या**	**तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निधि (40%)**	**भारत सरकार द्वारा जारी निधि (60%)**
2020-21	36	916 महिलाएं 66 बच्चे	2.74	4.32
2021-22	36	963 महिलाएं 83 बच्चे	--	--
2022-23	33	948 महिलाएं 181 बच्चे	--	--
2023-24 (31.01.2024 तक)	33	1132 महिलाएं 149 बच्चे	1.94	4.46

*****